-30-

संख्या– 2054 / 68–5–2019

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2019

विषयः– परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन की पात्रता विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन के विस्तरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या–07/बे0शि0प0/लेसा/पेंशन/10804/2019–20, दिनांक 05.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन की पात्रता, विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को एवं दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/कर्मचारियों के अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की विस्तरण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश के अधीन देय लाभ वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–सा0–3–1665/दस–12–308/97 दिनांक 3.12.2012 की व्यवस्थाओं के अनुसार देय होगे।

3– इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा पूर्व में निर्गत किया गया शासनादेश संख्या–3940/79–5–2013, दिनांक 06.11.2013 को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–ई–11–1158/दस–2019, दिनांक 14.12.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. समस्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11
9. अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
15.12.19
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

Raj-G.O.-1510.doc

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या: सा–3–1665 / दस–2012–308 / 97
लखनऊ : दिनाँक : 03 दिसम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय:–दिनाँक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत राज्य सरकार के पेंशनरों / कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या–सा–3–1508 / दस–2008–308–97, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दिनाँक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :–

वर्ग–(I)

(क) विधवा / विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र / पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह / पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग–(II)

(ग) अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रीं, जो उपरोक्त वर्ग–(I) से आच्छादित नहीं है, को विवाह / पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो,

(घ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक ने अपने पीछे कोई विधवा / विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है।

आश्रित माता–पिता अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग–(II) से आच्छादित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता / पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उपर्युक्त वर्ग–(I) में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलाँग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

उपर्युक्त व्यवस्था दिनाँक 01 जनवरी 2006 से प्रभावी किये जाने के कारण दिनाँक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवा निवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/ तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों को उपर्युक्त लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

2. शासन को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे है कि दिनांक 01 जनबरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी उपर्युक्तानुसार पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाय।

3. केन्द्र सरकार में दिनाँक 01 जनवरी 2006 के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी संगत शर्तों के साथ समान रूप से अनुमन्य है, चाहे उनका वैधव्य/तलाक 25 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ हो अथवा उसके पश्चात्।

4. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में पारिवारिक पेंशन उपर्युक्त शासनादेश संख्या–सा–3–1508/दस–2008–308/97, दिनाँक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर–7(3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5. ऐसे प्रकरण जिनमें अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रितों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में पेंशन प्रपत्र के भाग–2 में सम्बन्धित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के नाम तथा जन्म तिथि (यथेष्ट प्रमाण पत्र के साथ) अंकित कर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उपरोक्त नामांकन प्रपत्र (पेंशन प्रपत्र का भाग–2) को सत्यापित करते हुए सम्बन्धित पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को प्रेषित करेंगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त नामांकन प्रपत्र के आधार पर पारिवारिक पेंशनरों की पात्रता सूची में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के नाम एवं जन्मतिथि अंकित किये जाने सम्बन्धी आदेश सम्बन्धित कोषाधिकारी, एवं प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को प्रेषित करेंगे।

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: सा–3–1665 (1)/दस–2012–308/97, तद्‌दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. विशेष सचिव एवं वित्त नियन्त्रक, श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, विशेष सचिव, वित्त, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 73 सा0 वित्त–11–12–2012–(3019)–2502 प्रतियां (आफसेट)।